2

शिक्षा एवं चरित्र निर्माण

चित्ररेखा*
दिनेश कुमार**

बच्चों का सर्वांगीण विकास करना अर्थात उनके सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक आदि सभी पक्षों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है; परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि शिक्षा व शिक्षा प्रणाली बच्चों के चरित्र निर्माण के क्षेत्र में कहीं न कहीं विफल होती जा रही है। आधुनिकता के पर्दे में अपने चारित्रिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। शिक्षार्थी व समाज शिक्षित तो हो रहे हैं, पर उनमें सांस्कारिक मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं या यूँ कहें कि शिक्षित हैं पर संस्कारों से दूर हैं। आज यह समस्या समाज के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। इस समस्या के निवारण में हमारी शिक्षा, शिक्षकों व अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षित होने के साथ-साथ चरित्र निर्माण क्यों ज़रूरी है? यह लेख चरित्र निर्माण के संदर्भ में शिक्षा, विशेषकर जीवन-कौशल शिक्षा व शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

चरित्रवान व्यक्ति अपने आचरण एवं व्यवहार से न केवल समाज को फ़ायदा पहुँचाता है, बल्कि स्वयं को भी हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है।

किसी व्यक्ति का चरित्र ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होता है। यह न केवल किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को बताता है, अपितु उस व्यक्ति के व्यवहार के उन विशेष गुणों से भी परिचित कराता है जो उसे अन्य लोगों से एक अलग पहचान देते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति के वे गुण जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न अर्थात अलग बनाते हैं, उस व्यक्ति का चरित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके कपड़ों, कुल, वंश या जाति से नहीं होता, बल्कि उसके स्वयं के व्यवहार से होता है।

चरित्र निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान दार्शनिकों ने देश के विकास के लिए चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण माना और शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण करने पर बल दिया।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार यदि हमारी शिक्षा में चरित्र निर्माण का गुण निहित नहीं है तो वह उस पुष्प के समान है जो रंग, रूप व आकार के अनुसार पुष्प का नाम तो लिये हुए है पर उसमें पुष्प

प्रवक्ता, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110073
**प्रधानाचार्य*, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110073

© NCERT not to be republished

का मूल प्राकृतिक गुण अर्थात सुगंध/खुशबू नहीं है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के साथ-साथ उनका मान भी बढ़ाये।

किसी भी मनुष्य की महानता को उसके चरित्र से आँका जा सकता है इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना होना चाहिए जिसका चरित्र नैतिकता से पूर्ण हो। महात्मा गांधी ने चरित्र निर्माण को महत्व देते हुए कहा था कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण से उनका अर्थ नैतिक मूल्यों, साहस, मानसिक शक्ति व मानवीय मूल्यों के विकास से है।

चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों?

स्वामी विवेकानंद के अनुसार आज हमें जिनकी वास्तविक आवश्यकता है, वह हैं चरित्रवान स्त्री व पुरूष, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास और उसकी सुरक्षा उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर करती है। परंतु वर्तमान समय में हमारे शिक्षार्थियों के व्यवहार में, उनकी आदतों व उनके चरित्र में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। समय के अनुसार बदलाव आना कोई बुरी बात नहीं, परंतु जब इन बदलावों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले तो वह चिंता व सोचने का विषय है और साथ-साथ यह कार्य-योजना बनाने का विषय है कि इन बदलावों को किस प्रकार से सही दिशा की ओर परिवर्तित किया जाए। आज शिक्षार्थी अपने सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। वे ड्रग्स सेवन, बलात्कार, चोरी करना, अवज्ञा करना, आत्महत्या करना, हत्या करना, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, हिंसा करना, उग्र होना, संयम न होना, सम्मान न करना, त्याग, दया, स्नेह व सौहार्द्र की भावना का न होना आदि समस्याओं व बाल अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं। दिन-प्रतिदिन ये बाल अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी पुष्टि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) भी करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आँकडे देखने पर पता चलता है कि 19 राज्यों का बाल अपराध प्रतिशत 14.2 है जबकि तालिका 1 में दर्शाए गए शेष 10 राज्यों का प्रतिशत 76.1 है। जहाँ 2015 में 24,807 बच्चे विभिन्न अपराधों में लिप्त थे वहीं 2017 में इनकी संख्या 25,565 हो गई है जो चिंता का विषय है। दिल्ली जो भारत की राजधानी होने के साथ- साथ एक केंद्र शासित राज्य भी है, अन्य केंद्र शासित राज्यों की तुलना में यहाँ पर अधिक संख्या में (8.8 प्रतिशत) बच्चे विभिन्न प्रकार के बाल अपराधों में संलग्न है। बाल अपराधों में मध्यप्रदेश (19.3%) और महाराष्ट्र (17.9%) सबसे अग्रणी हैं।

तालिका 1

इंडियन पैनल कोड (आई. पी. सी.) और स्पेशल एंड लोकल कानून (एस. एल.एल) के अंतर्गत वर्ष 2015-17 में दर्ज भारत के राज्यों में बाल अपराधों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2015	2016	2017	भारत के संदर्भ में राज्यों का प्रतिशत (2017)
1.	आंध्र प्रदेश	1015	809	1122	3.3
2.	बिहार	1658	2335	1142	3.4

© NCERT not to be republished

3.	छत्तीसगढ	1914	1953	1952	5.8
4.	गुजरात	1577	1681	2013	6.0
5.	हरियाणा	1098	1186	1030	3.1
6.	मध्यप्रदेश	6583	7369	6491	19.3
7.	महाराष्ट्र	5693	6606	6026	17.9
8.	राजस्थान	2203	2273	2048	6.1
9.	तमिलनाडु	1814	2217	2376	7.1
10.	तेलंगाना	1252	998	1365	4.1
11.	10 राज्यों में अपराधों का कुल योग	24807	27427	25565	76.1
12.	शेष 19 राज्यों में बाल अपराधों का कुल योग	6066	5736	4876	14.2
13.	कुल 29 राज्यों में बाल अपराधों का कुल योग	30873	33163	30341	90.3
14.	दिल्ली (केंद्र शासित राज्य)	2366	2499	2965	8.8
15.	शेष केंद्र शासित राज	194	187	300	0.9
16.	कुल केंद्र शासित राज्य	2560	2686	3265	9.7
	संपूर्ण भारत (राज्य + केंद्र शासित राज्य)	33433	35849	33606	(90.3+ 9.7)= 100

तालिका 2 को देखें तो पाएँगे कि बच्चे किस तरह विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल होते जा रहे हैं। बाल अपराधों में लिप्त बच्चों की संख्या 12 वर्ष से ऊपर और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग तथा 16 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में लगातार बढ़ती जा रही है। तालिका का विश्लेषण करने के उपरांत यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि भावी पीढ़ी एक बहुत बड़े खतरे की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही है।

उपरोक्त तालिका से विभिन्न प्रकार के वे बाल अपराध उजागर होते हैं जो कि इंडियन पैनल कोड (आई.पी.सी.) और स्पेशल एंड लोकल कानून (एस.एल.एल.) के अंतर्गत वर्ष 2017 में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा और भी अन्य घटनाएँ और बाल अपराध हैं जो हमारे रिकार्ड के दायरे से बाहर हैं। अब यह सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा हैं? भारत जो कि अपनी संस्कृति व मूल्यों से पहचाना जाता था, आज वहाँ यह समस्या क्यों आ रही है?

तालिका 2

इंडियन पैनल कोड (आई.पी.सी) के अंतर्गत वर्ष 2017 में दर्ज बाल व युवा अपराधों की संख्या

क्र. सं.	अपराधों के प्रकार	दर्ज बाल अपराध	12 वर्ष से कम	12–16 वर्ष (16 वर्ष से कम)	16–18 वर्ष (18 वर्ष से कम)	कुल बाल अपराधों की संख्या	युवा अपराध 18–30 वर्ष
1.	हत्या	727	12	218	752	982	28810
2.	हत्या की कोशिश	844	07	214	855	1076	50961
3.	गैर इरादतन हत्या	360	02	83	278	363	50989

© NCERT not to be republished

4.	चोट	6092	77	2044	4876	6997	324796
5.	महिला की शीलता (लज्जा) भंग करना	1456	9	398	1244	1651	53983
6.	बलात्कार	1614	11	427	1299	1737	24570
7.	शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले अपराध	12506	132	3756	10493	14381	621538
8.	दंगे	995	18	257	1289	1564	132845
9.	चोरी	8406	148	3098	7080	10326	191059
10.	अपराधिक सेंध/ लूट में लिप्त	2718	76	1203	2374	3653	50602
11.	डकैती , लूटपाट	1361	17	392	1399	1808	34590
12.	सार्वजनिक स्थल पर तीव्र गति से गाडी चलाना	1239	06	240	1011	1257	193395

स्रोत— नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी), क्राइम इन इंडिया (2017), सांख्यिकी

बच्चों के व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन क्यों आ रहे हैं? बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में ऐसी क्या चूक हो रही है? और किस हद तक शिक्षा प्रणाली इसके लिए ज़िम्मेदार है? यह विचार मंथन का समय है।

चरित्र निर्माण में समाज, माता-पिता, दोस्तों, पाठ्यपुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया अर्थात हमारे सामाजिक व भौतिक वातावरण आदि की बहुत बड़ी भूमिका होती है परंतु इसके साथ-साथ शिक्षा, शिक्षा प्रणाली व शिक्षकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता।

यदि आज शिक्षा की बात करें तो यह अक्षर ज्ञान देने में तो सक्षम है परंतु व्यावहारिक कुशलता प्रदान करने में अपर्याप्त साबित हो रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे— समाज व विद्यालयों में किताबी ज्ञान पर अत्यधिक बल व उसे अधिक महत्व देना, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्ति को महत्व देना, अंकों के आधार पर योग्यता का मापन करना, रोज़गार के अधिकतर क्षेत्र में भी सैद्धांतिक मूल्यों को व्यावहारिक मूल्यों की तुलना में अधिक महत्व देना, अध्यापकों और बच्चों का संबंध भी पढ़ने व पढ़ाने तक सीमित रहना, मानवीय संबंधों को महत्व न देना आदि। इसलिए शिक्षार्थी भी अंक प्राप्ति की होड़ में लगातार लगे हुए हैं। वे अपने प्रमाण पत्रों में अच्छे अंक प्राप्त भी कर रहे हैं परंतु जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में उनकी प्राप्ति शून्य होती जा रही है।

अकसर शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान से ही जोड़ा जाता है और उसी को प्रदान करने पर बल दिया जाता है। वास्तव में शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा मनुष्य को सभ्य ढंग से जीना सिखाती है और हमारे आचार-विचार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। यह व्यावहारिक ज्ञान अर्थात चरित्र निर्माण व उसके उपयोग पर बल देती है।

© NCERT not to be republished

शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण

अपने विचारों पर ध्यान दो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे क्रिया बन जाते हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दो, वे आदत बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा चरित्र बनाती हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दो, वह तुम्हारी नियति का निर्माण करता है।

— लाओत्जु

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इसे क्रियान्वित करने व इस स्तर तक पहुँचने में मार्गदर्शन करती है। शिक्षा के द्वारा विभिन्न ज्ञानात्मक, व्यावहारिक व भावुनात्मक कौशलों में प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक निखार व कुशलता ला सकते हैं और उनमें उचित तालमेल स्थापित कर एक प्रभावी चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जीवन-कौशल शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जीवन अर्थात ज़िंदगी और कौशल अर्थात वे योग्यताएँ, गुण एवं निपुणताएँ जो जीवन को लाभदायक, सुखमय और सभ्य तरीके से जीने में सहायक हों।

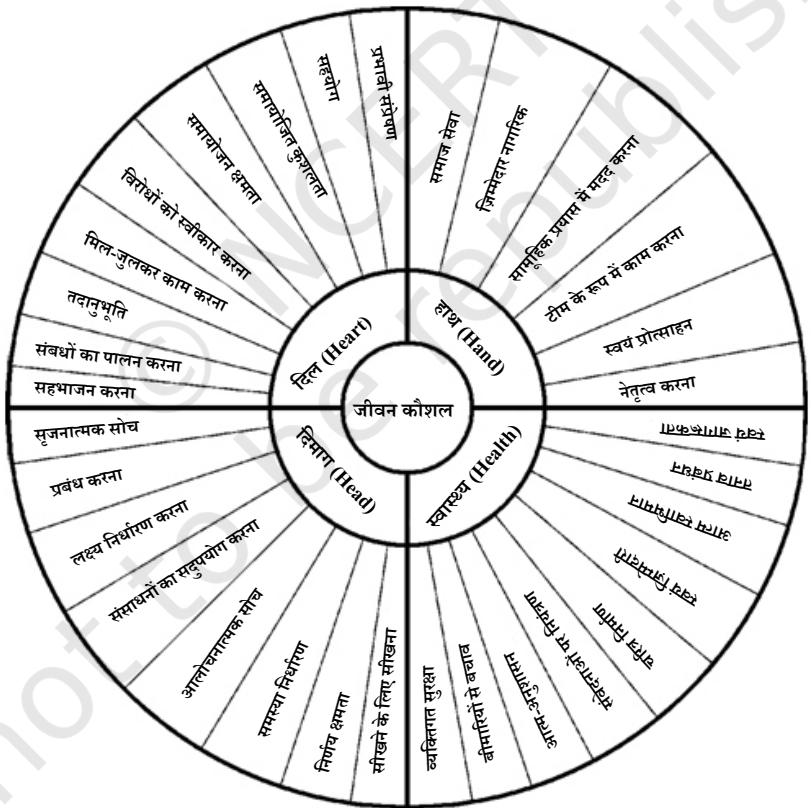

© NCERT not to be republished

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 1993) के अनुसार जीवन-कौशल एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यवहार में अनुकूलतम व सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए मनुष्य अपने दैनिक जीवन की माँगों और चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के योग्य बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 मूल जीवन-कौशल हैं।

क्र.सं.	जीवन-कौशल
1.	निर्णयन— ठोस व सही निर्णय लेने की योग्यता।
2.	तार्किक चिंतन— विश्लेषण योग्यता।
3.	समस्या निवारण— निवारण के लिये श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव।
4.	प्रभावी संप्रेषण— सुनने व ध्यानपूर्वक सुनने में अंतर करना, उचित प्रतिपुष्टि देना।
5.	समझौते की बातचीत— विपरीत परिस्थितियों में समायोजित होना।
6.	तदानुभूति— दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियों में स्वयं को रखकर सोचना।
7.	अंतर-वैयक्तिक कौशल— सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
8.	तनाव प्रबंधन— तनाव देने वाले स्रोतों की पहचान करना।
9.	भावनाओं से जूझना— संवेदनाओं पर नियंत्रण करना।
10.	आत्म मूल्यांकन— स्वयं के गुण-दोषों की पहचान करना।

प्रत्येक जीवन-कौशल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीवन-कौशल शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण करने के लिये इन कौशलों की शिक्षा अलग से देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे शिक्षार्थियों पर अतिरिक्त मानसिक बोझ पड़ता है। इसलिये इन्हें विभिन्न विषयों के साथ एकीकृत करके आसानी से सिखाया व उनके व्यवहार का हिस्सा बनाया जा सकता है और ऐसा करने से शिक्षार्थी बिना किसी मानसिक बोझ के अप्रत्यक्ष रूप से इन कौशलों को सीखकर और लगातार इनका उपयोग करते हुए इन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बना सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000* के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यावहारिक पक्ष को मज़बूत करने के लिये जीवन-कौशलों को विभिन्न विषयों, जैसे— कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने को कहा गया।

हर बच्चा अपने ज्ञान का सृजनकर्ता एवं निर्माता स्वयं होता है, इसलिए उन्हें ज्ञान अर्जित करने व उसका उपयोग करने का उपयुक्त अवसर एवं मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यपुस्तक में दी गई विषयवस्तु व विभिन्न क्रियाकलापों पर शिक्षार्थियों से चर्चा व विचार-विमर्श कराये व उनमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान पैदा कर जीवन-कौशल शिक्षा के माध्यम से उनका चरित्र निर्माण करने का प्रयास करे। जैसे— **सामाजिक अध्ययन** विषय के द्वारा स्वयं के प्रति, अपने परिवार व पड़ोस के प्रति शिक्षार्थियों के अंदर उनके कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा करना और समाज व अन्य लोगों के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करना। उनमें स्वयं का सम्मान करने, अपने से बड़ों का कहना मानने, संयम के साथ अपनी बात रखने व आदर करने की भावना का विकास।

सामाजिक समस्याओं, जैसे— बाल-उत्पीड़न, ड्रग्स सेवन, बलात्कार, हिंसा आदि के प्रति जागरूकता व जवाबदेही संबंधी उत्तरदायित्व का विकास करना।

सामाजिक रूप से वांछित मूल्यों, जैसे— आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, सहायता, सहयोग, समूह कार्य, उदारता, तदानुभूति आदि मूल्यों को अपने

जीवन में अपनाने को प्रेरित करना व समय-समय पर परिस्थितियाँ पैदा कर उन्हें अवसर देकर इन मूल्यों की जाँच करना तथा प्रत्येक परिस्थिति में अपनी भूमिका समझने व उसका निर्वाह करने के कौशल का विकास करना।

विभिन्न क्रियाओं में अपनी रुचि, हुनर, क्षमता, प्रशिक्षण व अनुभव के अनुसार अपनी भूमिका निर्धारित करने के कौशल का विकास करना।

विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हम कैसे इसे सुरक्षित रख सकते हैं? वन्य प्राणियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? पर्यावरण प्रदूषण, गंदगी, पेड़ों के कटाव आदि समस्याओं के निवारण में अपनी भूमिका को समझ कर उसका निर्वाह करना।

कार्य शिक्षा के माध्यम से अपना काम स्वयं व अपने हाथों से करने को प्रेरित करना तथा हाथ से काम करने वाले मज़दूरों, घरेलू व अन्य साफ़-सफ़ाई करने वाले लोगों के प्रति सकारात्मक आदर भाव रखने की आदत का विकास करना।

कला शिक्षा के माध्यम से समूह कार्य करने व किसी भी कला को छोटा न मान कर उसे समाज जीवन में उचित स्थान देने के लिये न केवल प्रेरित करना, बल्कि वह काम स्वयं व शिक्षार्थियों से भी करवाना।

हिंदी विषय के माध्यम से अपने साहित्य, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को पहचानने व उन्हें जीवन में अपनाने पर बल देना और इसके लिये कहानियों, दोहों आदि का सहारा लेना, जैसे—पंचतंत्र की कहानी (बंदर का कलेजा और मगरमच्छ) के द्वारा शिक्षार्थियों में निर्णय लेने, तार्किक चिंतन, मेहनत, लगन, परिश्रम, निष्ठा आदि मूल्यों का विकास करना। इसी प्रकार कबीर के दोहों के माध्यम से समीक्षात्मक चिंतन कराना। जैसे—

जाति न पूछो साधू की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।

अर्थात व्यक्ति का ज्ञान जिसे वह उपयोग करता है, उसका मान समाज में सबसे ऊँचा होता है न कि जाति का। इसी प्रकार तलवार का मान उसके म्यान, जिसमें वह रखी जाती है, से अधिक होता है। यह दोहा जातिगत सोच से बचाता है और सभी के प्रति समान व्यवहार व आदर भाव रखने के लिये प्रेरित करता है।

गणित के माध्यम से पंचतंत्र की कहानी जैसे 'बंदर और बाँट' (दो बिल्लियों और बंदर की कहानी) के माध्यम से न केवल चीज़ें बाँटनी सिखाना, अपितु लालच जैसी बुराई पर प्रकाश डालते हुए मित्रता और एकता पर बल देना।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग व मन का निवास होता है, इसलिये स्वस्थ रहने तथा तनाव व क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिये योगाभ्यास, चिंतन व शारीरिक व्यायाम आदि करने पर बल देना और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना उसे क्रियान्वित करना।

अन्य महत्वपूर्ण उपाय

आदर्श व्यवहार—हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ अवलोकन व अनुकरण से सीखते हैं। जैसा देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक परिवार में माता-पिता प्रतिदिन अपने माता-पिता को नमस्कार करते हैं। उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ अपने सुख-दुख को बाँटते हैं। इन सब क्रियाओं को उनके बच्चे रोज़ देखते हैं और वे भी उन क्रियाओं को बिना कहे अपने दादा-दादी व अपने

© NCERT not to be republished

माता-पिता के साथ दोहराते हैं व वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ है कि जो बच्चों व शिक्षार्थियों को सिखाना है, उसे पहले अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा। चूक तब होती है? जब हमारी कथनी और करनी में अंतर आता है। इसलिये सर्वप्रथम शिक्षकों व माता-पिता को एक आदर्श रूप अपने बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

समाज के महान लोगों के चरित्र के बारे में बताना— महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, चाणक्य आदि किस प्रकार अपने व्यक्तित्व से समाज के लिये एक बड़ी मिसाल बन गए, इस बारे में बताना।

बाल्यावस्था से ही चरित्र निर्माण पर बल देना— प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए, न कि किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था में, क्योंकि इन अवस्थाओं तक बच्चे या व्यक्ति की अपनी सोच, आदतें बन चुकी होती हैं और उसमें बदलाव करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है।

मार्गदर्शन व परामर्श— समय-समय शिक्षार्थियों के व्यावहारिक पक्ष को लेकर उनका उचित मार्गदर्शन करना।

निष्कर्ष

शिक्षा पद्धति के मुख्य घटकों में शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यचर्या का समावेश होता है। इनमें से सबसे कठिन व निर्णायक भूमिका शिक्षक की होती है क्योंकि वह इनके मध्य संप्रेषक का काम करता है। कम उम्र के शिक्षार्थियों की देख-रेख करने, उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं को समझने और उन्हें समाज के उपयोगी नागरिक बनाने में तथा उनके अंदर आदर्श-चरित्र का निर्माण करने की ज़िम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की ही होती है। इसलिए शिक्षक को शिक्षार्थियों में जीवन-कौशलों के माध्यम से चरित्र निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वे न केवल बेहतरीन जीवन जी सकें, अपितु देश के अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकें।

संदर्भ

अग्रवाल, डी. 2018. जुवेनाइल डेलिक्यूनसी इन इंडिया— लेटेस्ट ट्रेंड एंड एंटेलिंग अमेंडमेंट्स इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. *पीपल— इंटरनेशलन जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस*. 3(3).

डब्ल्यूएचओ. 1996. *लाइफ़ स्किल्स एजुकेशन— प्लैनिंग फ़ॉर रिसर्च*. पृ. 72. जिनेवा.

नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो. 2015. *क्राइम्स इन इंडिया*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2002. *रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटिंग लाइफ़ स्किल्स विद् एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्टेज*., डिपार्टमेंट ऑफ़ वुमन स्टडीज़. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

www.unicef.org/lifeskill

www.pravakta.com

www.behatarlife.com

www.hindisahityadarpan.in

© NCERT not to be republished